राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी, सी–स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांकः F.15 (ग)/PD/DLB/IGSCCY-2021-22/ ४१४०१ दिनांकः २७-१०-२१

संयोजक,
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,
दुर्गापुरा, जयपुर।

विषयः इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी करने बाबत्।

संदर्भः वित्त (व्यय–3) विभाग की आई डी क्रमांक 172100573 दिनांक 04.10.2021।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित वित्त (व्यय–3) विभाग की आई डी क्रमांक 172100573 दिनांक 27.10.2021 के क्रम में लेख है कि इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण के क्रम में वित्त विभाग की टिप्पणी निम्नानुसार हैः–

"बैंको द्वारा ब्याज के पुनर्भरण हेतु 30 दिवस के पश्चात ब्याज राशि का दावा प्रस्तुत करने तथा आगामी 30 दिवस में उक्त ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

उक्त योजना में देय ब्याज दर 10 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर जो भी कम हो, का पुनर्भरण किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

क्रेडिट गारंटी की फीस का भुगतान बैंक द्वारा किये जाने तथा फीस का पुनर्भरण ब्याज के साथ किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋणों के पुर्नभुगतान हेतु रू0 25000/– तक की राशि के ऋणों की पुनर्भुगतान अवधि 12 माह तथा रू0 25000/– से अधिक राशि के ऋणों का के पुनर्भुगतान की अवधि 18 माह किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है"।

यह वित्त (व्यय–3) विभाग की आई डी क्रमांक 172100573 द्वारा अनुमोदित है।

(भंवर लाल बैरवा)
स्टेट नोडल अधिकारी

क्रमांकः F.15 (ग)/PD/DLB/IGSCCY-2021-22/ ४१४०३–४१६५२ दिनांकः २७-१०-२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (वित्त व्यय), वित्त विभाग, जयपुर।

3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, निदेशालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त जिला, राजस्थान।
5. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निकाय समस्त, राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।

स्टेट नोडल अधिकारी